न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट संख्या–1,लखीमपुर–खीरी।
एस0टी0सं0–167 / 2021
मुकदमा अपराध सं0–232 / 2021
धारा–302,201,404भारतीय दण्ड संहिता
थाना–कोतवाली सदर,जिला–खीरी
राज्य बनाम अंकित कुमार उर्फ खट्टू आदि

18–09–2024

पत्रावली पेश हुई पुकार करायी गयी पुकार पर अभियुक्तगण अंकित व रामदर्शन उर्फ राहुल उपस्थित, अभियुक्त कमलेश कुमार अनुपस्थित।

अभियुक्त कमलेश कुमार के विरूद्ध बी0डब्लू0 जारी किया गया जिस पर सम्बन्धित थाना कोतवाली सदर से यह आख्या प्राप्त हुई कि अभियुक्त कमलेश कुमार की मृत्यु हो चुकी है। अभियुक्त कमलेश कुमार की मृत्यु के सम्बन्ध में तामील कुनिंदा को तलब किया गया, तामील कुनिदां उपनिरीक्षक संचित यादव को सी0डब्लू01 के रूप में परीक्षित कराया गया।

सी0डब्लू01 उपनिरीक्षक संचित यादव द्वारा अपने बयान में कथन किया गया कि, अभियुक्त कमलेश कुमार पुत्र स्व0 मंगूलाल निवासी मो0 लाहौरी नगर सरैंया,इंडियन पेट्रोल पंप के सामने थाना कोतवाली सदर जिला खीरी का बी0डब्लू0 वारंट की तामील हेतु उसकी चौकी के कां0 सुरेन्द्र सिंह द्वारा मौके पर जाकर तलाश किया गया तो पता चला कि उक्त अभियुक्त कमलेश कुमार की मृत्यु दिनांक 02 अगस्त सन् 2024 को हो चुकी है जिसके सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के परिजनों द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया गया जो उसकी चौकी पर नियुक्त कां0 सुरेन्द्र सिंह के द्वारा अपनी आख्या के साथ संलग्न पत्रावली किया गया है। बी0डब्लू0 अधिपत्र के पुष्ट पर अंकित आख्या उसकी चौकी पर तैनात कां0 सुरेन्द्र सिंह के लेख व हस्ताक्षर में है,जिसे वह भली भांति जानता पहचानता है। जिसे प्रदर्श सी–1 के रूप में साबित किया है।

इस प्रकार थाने की आख्या एंव तामील कुनिंदा के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त **कमलेश कुमार पुत्र स्व0 मंगूलाल के विरूद्ध वाद उपशमित** किया जाता है।

पत्रावली वास्ते बयान अं0धारा–313 दं0प्र0सं0 दिनांक 09.10.2024 को पेश हो।

अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट संख्या–1
लखीमपुर–खीरी।
जे0ओ0कोड–यू0पी0 2391

Digitally signed by PARUL JAIN
Date: 2024.09.18 10:44:13 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court